अंतिम (सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

हितों के टकराव पर नीति

समीक्षक एवं समिति सदस्य अथवा आवेदक या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की योजना से संबद्ध / संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी के लिए

देश के अनुसंधान एवं विकास के परिदृश्य में सरकारी वित्त पोषण की बड़ी हिस्सेदारी को देखते हुए, वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुसंधान प्रबंधन में हितों के टकराव और नैतिकता के मुद्दों ने अधिक प्रमुखता हासिल कर ली है। हितों के टकराव और आचार संहिता के सामान्य पहलुओं से संबंधित निम्नलिखित नीतियाँ वस्तुनिष्ठ उपाय हैं , जिनका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की अखंडता की रक्षा करना और पक्षपात को कम करना है। इस नीति का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना, वित्त पोषण तंत्र में जवाबदेही बढ़ाना और आम जनता को यह आश्वासन देना है कि अनुदान प्रदान करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ निष्पस और भेदभाव रहित हैं। नीति का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली का पालन करके सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से बचना है, जो निष्पक् , पारदर्शी और सभी प्रकार के प्रभाव/पूर्वाग्रह रहित व्यवहारों से मुक्त हो, कार्यक्रम की अवधि से पहले, उसके दौरान और उसके बाद, ताकि जनता को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए रिश्वतखोरी या किसी भी भ्रष्ट आचरण से दूर रहने में सक्षम बनाया जा सके, यह आश्वासन देकर कि उनके प्रतिस्पर्धी भी रिश्वतखोरी और अन्य भ्रष्ट आचरण से दूर रहेंगे और निर्णयकर्ता पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करके अपने अधिकारियों द्वारा किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। इससे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपनाई गई निर्णय लेने की प्रक्रिया की वैश्विक स्वीकृति भी सुनिश्चित होगी ।

हितों के टकराव की परिभाषा :

हितों के टकराव का अर्थ है "कोई भी ऐसा हित जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की निष्पक्षता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे उस व्यक्ति या उस संगठन के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पैदा हो, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है"। हितों के टकराव में वे स्थितियाँ भी शामिल हैं जहाँ कोई व्यक्ति,स्वीकृत मानदंडों और नैतिकता के विपरीत, अपने अनिवार्य कर्तव्यों का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग कर सकता है।

नीति का कार्य क्षेत्र:

क) नीति के प्रावधानों का पालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से धन के लिए आवेदन करने वाले और प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, प्रस्ताव के समीक्षकों और विशेषज्ञ समितियों एवं कार्यक्रम सलाहकार समितियों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। नीति के प्रावधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों सहित सभी व्यक्तियों पर भी लागू होंगे, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अथवा मध्यस्थों के माध्यम से प्रस्तावों के मूल्यांकन और उसके बाद निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल समितियों से जुड़े हैं।

ख) इस नीति का उद्देश्य उन पहलुओं को न्यूनतम करना है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित किए जा रहे वित्तपोषण तंत्रों में वास्तविक हितों के टकराव, प्रत्यक्ष हितों के टकराव और संभावित हितों के टकराव का कारण बन सकते हैं। इस नीति का उद्देश्य, यद्यपि इन्हीं तक सीमित नहीं, उन हितों के टकरावों को भी कवर करना है जो वित्तीय प्रस्ताव या पुरस्कार के परिणामों से लाभ परिवार के सदस्यों का संबंध और संस्थागत सहकर्मी , नियोक्ता , किसी व्यक्ति के पेशे से जुड़े पर्यवेक्षक जैसे पी एच डी आदि हैं ।

2. **विशेष विवरण जो हितों के टकराव का संकेत देते हो**

निम्नलिखित में से कोई भी विनिर्देश (आंशिक सूची) हितों के टकराव का संकेत देता है यदि :

(I) कोई भी ऐसा कारण, जिसके चलते समीक्षक अथवा समिति सदस्य प्रस्ताव का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं कर पाते हों.

(II) आवेदक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति का प्रत्यक्ष रिश्तेदार या पारिवारिक सदस्य (जिसमें पति/पत्नी, बच्चे, भाई-बहन, माता-पिता शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) या निजी मित्र है अथवा वैकल्पिक रूप से, यदि किसी अधिकारी का कोई रिश्तेदार किसी निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है या आवेदक के फॉर्म आदि में रुचि/हिस्सेदारी को प्रभावित करता है।

(III) अनुदान/पुरस्कार के लिए आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति का कर्मचारी या नियोक्ता है, जोसमीक्षक या समिति सदस्य के रूप में प्रक्रिया में शामिल है या यदि अनुदान/पुरस्कार के आवेदक का उस व्यक्ति के साथ पिछले तीन वर्षों में नियोक्ता-कर्मचारी संबंध रहा है।

(IV) अनुदान/पुरस्कार के लिए आवेदक उसी विभाग से संबंधित है जिस विभाग से समीक्षक/समिति सदस्य संबंधित है।

(V) समीक्षक /समिति सदस्य उस संगठन का प्रमुख हो, जहाँ आवेदक कार्यरत है।

(VI) समीक्षक/समिति सदस्य आवेदक के पेशेवर करियर से जुड़ा हुआ है या था(जैसे पीएच.डी. पर्यवेक्षक, मार्गदर्शक, वर्तमान सहयोगी आदि)।

(VII) समीक्षक/समिति सदस्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत शोध प्रस्ताव की तैयारी में लिप्त है।

(VIII) समिति सदस्य के साथ पिछले तीन वर्षों में आवेदक ने संयुक्त शोध प्रकाशन किए हैं।

(IX) आवेदक /समीक्षक/समिति सदस्य, वैज्ञानिक अनुसंधान में अपनाए जाने वाले स्वीकृत मानदंडों और नैतिकता के विपरीत, प्रस्ताव के परिणामों में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वित्तीय रुचि रखता है।

(X) प्रस्तुत प्रस्ताव के स्वीकार या अस्वीकार होने की स्थिति में समीक्षक/समिति सदस्य को व्यक्तिगत रूप से लाभ होगा।

3. विनियम

डीएसटी अपने वित्तपोषण तंत्र में हितों के टकराव से यथासंभव बचने का प्रयास करेगा। हालाँकि, वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुसंधान प्रबंधन से जुड़े हितधारकों के लिए हितों के टकराव और वैज्ञानिक नैतिकता से संबंधित मुद्दों पर स्व-नियामक पद्धति की सिफारिश की जाती है। इससे संबंधित कोई भी प्रकटीकरण आवेदक/समीक्षक/समिति सदस्य द्वारा स्वेच्छा से किया जाना चाहिए।

4. गोपनीयता

समीक्षक एवं समिति के सदस्य प्रक्रिया के दौरान की गई सभी चर्चाओं और निर्णयों की गोपनीयता बनाए रखेंगे और किसी भी आवेदक या तीसरे पक्ष के साथ इस पर चर्चा करने से बचेंगे, जब तक कि समिति अन्यथा अनुशंसा न करे और ऐसा करने के लिए रिकॉर्ड न बनाए।

5. आचार संहिता

5.1 समीक्षकों/समिति सदस्यों द्वारा अनुसरण किए जाने हेतु :

क. सभी समीक्षकों को हितों के टकराव का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार के हितों के टकराव की उपस्थिति या अनुपस्थिति की घोषणा की जाएगी।

ख. यदि हितों का टकराव स्थापित हो जाता है या यह स्पष्ट है तो समीक्षक प्रस्तावों का मूल्यांकन करने से बचेंगे।

ग. हितों के टकराव से संबंधित सभी चर्चाएँ और निर्णय बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किए जाएँगे।

घ. समिति का अध्यक्ष हितों के टकराव से संबंधित सभी पहलुओं पर निर्णय लेगा।

ङ. समिति के अध्यक्ष सभी सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि वे बताएं कि क्या चर्चा के लिए निर्धारित एजेंडा के मदों में उनका कोई हितों का टकराव है।

च. समिति के सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने से परहेज करेंगे और उस विशिष्ट मुद्दे के संबंध में कक्ष से बाहर चले जाएंगे जहाँ हितों का टकराव स्थापित हो या स्पष्ट हो।

छ. यदि अध्यक्ष स्वयं हितों के टकराव का शिकार हैं, तो समिति शेष सदस्यों में से किसी एक अध्यक्ष का चयन कर सकती है, और यह निर्णय समिति के सदस्य सचिव के परामर्श से लिया जाएगा।

ज. यह अपेक्षित है कि अध्यक्ष सहित कोई भी समिति सदस्य उस समिति से अनुदान की मांग नहीं करेगा जिसका वह सदस्य है। यदि कोई सदस्य अनुदान के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे प्रस्तावों का मूल्यांकन उस समिति के बाहर अलग से किया जाएगा, जिसका वह सदस्य है।

5.2 **अनुदान/पुरस्कार के लिए आवेदक द्वारा अनुसरण किए जाने हेतु :**

क. आवेदक को ऐसे मूल्याँकनकर्ताओं (रेफरी) का सुझाव देने से बचना चाहिए जिनके हितों में टकराव की संभावना हो, जो उपरोक्त बिंदु संख्या 2 में वर्णित विनिर्देशों में उल्लिखित कारकों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं।

ख. आवेदक स्पष्ट रूप से कारण दर्शाते हुए उन व्यक्तियों के नाम बता सकता है, जिन्हें प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव मूल्याँकन के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए।

5.3 **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यक्रमों से संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाने हेतु:**

यद्यपि कार्यक्रम अधिकारियों के लिए उपरोक्त बिंदु संख्या 6 में वर्णित गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है, उन्हें पहले ही यह घोषित कर देना चाहिए कि क्या वे किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य (जिसमें पति/पत्नी, बच्चे, भाई-बहन, माता-पिता शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) या थीसिस/पोस्ट-डॉक्टरल मेंटर के अनुदान आवेदनों पर विचार कर रहे हैं या आवेदक के प्रस्ताव को वित्त पोषित किए जाने पर उन्हें वित्तीय लाभ होगा। ऐसे मामलों में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अनुदान आवेदनों को अन्य कार्यक्रम अधिकारी को आवंटित करेगा।

6. उल्लंघन के लिए प्रतिबंध

6.1 समीक्षकों / समिति सदस्यों और (ख) आवेदक के लिए :

आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन पर समिति द्वारा तय की गई कार्रवाई की जाएगी।

6.2 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यक्रम से संबंधित अधिकारियों के लिए:

आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन पर सीसीएस (आचरण नियम), 1964 के वर्तमान प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी।

7. अंतिम अपीलीय प्राधिकारी:

हितों के टकराव और निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित मामलों में सचिव, डीएसटी अपीलीय प्राधिकारी होंगे। इन मामलों में सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का निर्णय अंतिम और बाह्यकारी होगा।

8. घोषणा

मैंने समीक्षक/समिति सदस्य/ आवेदक/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग योजना या कार्यक्रम अधिकारी पर लागू विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की उपरोक्त "हितों के टकराव संबंधी नीति" पढ़ ली है और इसके प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि प्रस्तावित अनुदान से संबंधित किसी भी प्रकार का मेरा कोई हितों का टकराव नहीं है*

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि प्रस्तावित अनुदान से संबंधित किसी प्रकार का मेरा कोई हितों का टकराव है*

* &# (जो भी लागू हो, उस पर टिक निशान लगाएं)

समीक्षक/समिति सदस्य या आवेदक या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी का नाम

(जो लागू न हो उसे काट दें)

(हस्ताक्षर दिनांक सहित)